ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, वि० ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176027
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कर्ण सिंह पठानिया	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजनेश कुमार	01/04/2022 से 22/03/2023
2.	श्री राकेश कुमार	23/03/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रणजीत सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती सोनिया	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत सुकनाड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	2.28
2.	4.4	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक राशि का हस्तगत नकद शेष पाया जाना	0.05
3.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	27.68
4.	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.47
5.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	0.40
6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.40
7.	8.3	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	4.04
8.	8.4	प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	4.04
9.	9.1	मनरेगा के अन्तर्गत चयनित माह में व्यय राशि के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न	3.27

		करना	
10.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करने के कारण राजकीय कोष को राजस्व की हानि	0.004
11.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण एवं प्रतिवेदनों के अनिर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्रवाई संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	निर्णीत (मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 175 से पुष्टि उपरान्त)
2.	4	निर्णीत (पैरा समायोजन हेतु विशेष अभियान दिनांक 10 से 12.01.2022 के दौरान पैरे का समायोजन)
3.	5	अनिर्णीत
4.	6	निर्णीत (पैरा समायोजन हेतु विशेष अभियान दिनांक 10 से 12.01.2022 के दौरान पैरे का समायोजन)
5.	7 (1)	निर्णीत (पैरा समायोजन हेतु विशेष अभियान दिनांक 10 से 12.01.2022 के दौरान पैरे का समायोजन)
6.	7 (2)	निर्णीत (पैरा समायोजन हेतु विशेष अभियान दिनांक 10 से 12.01.2022 के दौरान पैरे का समायोजन)
7.	8	निर्णीत (पैरा समायोजन हेतु विशेष अभियान दिनांक 10 से 12.01.2022 के दौरान पैरे का समायोजन)

8.	9	अनिर्णीत
9.	10	अनिर्णीत
10.	11	अनिर्णीत
11.	12	निर्णीत (पैरा समायोजन हेतु विशेष अभियान दिनांक 10 से 12.01.2022 के दौरान पैरे का समायोजन)
12.	13	अनिर्णीत
13.	14	अनिर्णीत
14.	15	अनिर्णीत
15.	16	अनिर्णीत
16.	17	अनिर्णीत

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.11.2024 से 06.12.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	04/2022	08/2022
2023-24	03/2024	03/2024

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन***

पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 11/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/12/2024 दिनांक 06.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 33/2024 दिनांक 26.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	492106.12	496884.00	988990.12	521050.00	467940.12
2023-24	467940.12	423711.00	891651.12	381617.00	510034.12

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1517402.00	3492081.10	5009483.10	2889324.10	2120159.00
2023-24	2120159.00	2196726.00	4316885.00	1548460.00	2768425.00

कुल योग (1+2) = 510034.12 + 2768425.00 = **3278459.12**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **₹32,78,459.12** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹30,50,187.13 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5 वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)/ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080205	₹ 3,81,753.00
			20027080512	₹ 1,44,266.28
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50074374693	₹ 3,82,453.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055883818	₹ 98,523.00
4.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055883829	₹ 1,05,113.00
5.	मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50065712375	₹ 14,629.00
6.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055883830	₹ 54,257.00
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50074173486	₹ 5,017.00
8.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060061709	₹ 38,751.00
9.	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055883807	₹ 0.00
10.	गुरु रविदास योजना (GRDY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50061767124	₹ 77,314.00
11.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50064667717	₹ 0.00
12.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100369116057	₹ 17,43,496.00
	हस्तगत शेष (स्व: स्रोत)			₹ 4,614.85

	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :	₹30,50,187.13
	<u>दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-</u>	
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-	**₹32,78,459.12**
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹30,50,187.13**
	अंतर :-	**₹2,28,271.99**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹2.28 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹2,28,271.99** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/सुकनाड़ा दिनांक 29.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/04/2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हस्तलिखित रोकड़ बहियों के साथ-साथ E-Gram Swaraj Portal पर संधारित रोकड़ बहियों का भी अद्यतन किया गया है एवं हस्तलिखित रोकड़ बहियों से E-Gram Swaraj Portal पर कार्य करने हेतु परिवर्तन के दौरान त्रुटिपूर्वक online रोकड़

बहियों एवं बैंक में राशि **₹2,28,271.99** के अंतर बारे सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर पत्राचार कर E-Gram Swaraj पर संधारित रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि को उचित स्रोत से वसूल कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाते नहीं खोले गये थे, जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)/ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080205
			20027080512

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (OWN SOURCE), 5वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/सुकनाड़ा दिनांक 29.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/02/2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को बताया कि नियमानुसार सभा निधि (OWN SOURCE), 5वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) के बैंक खातों को अलग-अलग कर लिया जाएगा एवं अलग-अलग रोकड़ बहियों का संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि (OWN SOURCE), 5वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों में लेखांकन न करना : -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 5वां राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के आय व्यय से संबंधित लेन-देन एवं लेखांकन 5वां राज्य वित्त आयोग रोकड़ बही के अलावा सभा निधि बैंक रोकड़ बही में भी किया जा रहा था एवं 5वां राज्य वित्त आयोग रोकड़ बही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) से प्राप्त राशि का लेखांकन किया जा रहा था जोकि वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (OWN SOURCE), 5वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/सुकनाड़ा दिनांक 29.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/03/2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को बताया कि नियमानुसार सभा निधि (OWN SOURCE), 5वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC) व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) रोकड़ बहियों के लेखांकन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.4 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक राशि ₹0.05 लाख का हस्तगत नकद शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही इम्प्रेस्ट (अग्रदाय) रूप में रखी जा सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में दिनांक 01.04.2022 से लेकर 31.03.2024 तक प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि **₹4,614.85** को हस्तगत रखा गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/202443 दिनांक 06.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया हस्तगत नकद शेष को बैंक में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार उक्त राशि को बैंक में जमा करवा कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एक हजार रूपये से अधिक राशि को अग्रदाय/इम्प्रेस्ट रूप में न रखा जाये।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/सुकनाड़ा दिनांक 29.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/05/2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया

गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में वस्तुस्थिति, नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹27.68 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 33/2024 दिनांक 26.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 27,68,425.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/सुकनाड़ा दिनांक 29.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/05/2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पी सी एच-एच (ए) (5)सी (15)313/89-4614-4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/सुकनाड़ा दिनांक 29.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/05/2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त स्पष्ट निर्देशों क दृष्टिगत इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के सम्बन्ध में यह मामला विशेष रूप से विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यान में अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.47 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान संपत्ति कर / गृहकर मांग एवं संग्रहण पंजिका अपूर्ण पाई गई। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/सुकनाड़ा दिनांक 30.11.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक GP/SUK/06/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹46,550.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/2024 दिनांक 06.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत

करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, कि तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.40 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचयाती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)- DB-GENERAL/ 2023-1/204192/ 2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD & PR)-Royalty/ 2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹39,189.18** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता

की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/सुकनाड़ा दिनांक 05.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/10/2024 दिनांक 06.12.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹39,189.18** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित जिला खनन अधिकारी से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों का अवलोकन किया गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे समस्त भुगतानों की कार्यालय स्तर पर समुचित गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.40 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें

(Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹39,189.18** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " च "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/202443 दिनांक 06.12.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 अग्रिम राशि ₹4.04 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹4,04,396.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं

हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/202443 दिनांक 06.12.2024 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.4 राशि ₹4.04 लाख के प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित दार्शनिक बिल (Proforma Bill) एवं मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ के Delivery/Transfer Challan के आधार पर **परिशिष्ट " छ"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹4,04,396.00** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया था जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया था। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पूर्ण पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/202443 दिनांक 06.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ से दार्शनिक बिल (Proforma Bill) एवं मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर दार्शनिक बिल (Proforma Bill) एवं मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये एवं सीमेंट प्राप्ति के समय मूल बिल (Original Bill) प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये एवं अग्रिम भुगतान व सामग्री प्राप्ति के पारदर्शी लेखांकन हेतु अग्रिम समायोजन रजिस्टर का उचित रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के अर्न्तगत चयनित माह में व्यय राशि ₹3.27 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी

अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत चयनित माह में मस्ट्रोलों के भुगतान हेतु व्यय राशि **₹3,26,692.00** से संबंधित निर्माण कार्यों के अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न विवरणानुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/202443 दिनांक 06.12.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है तथा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.004 लाख की प्राप्ति न करने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00 (APL)/ ₹25.00 (BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00 (APL)/ ₹50.00 (BPL) अर्थात दोगुनी दर से विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया

जाना निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर प्राप्त करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹400.00** की प्राप्ति नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	प्राप्ति योग्य राशि	प्राप्त की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	श्री कमलजीत	10.05.2022	30.05.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	श्री हिमांशु शर्मा	07.12.2023	22.12.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सुकनाड़ा दिनांक 30.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/09/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वसूली हेतु शेष विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹400.00** की वसूली कर सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा और की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये एवं प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार

राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹4,000.00** को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि हुई प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/सुकनाड़ा दिनांक 30.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/09/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "ज"** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.4 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था, जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर स्वतः प्रश्न चिन्ह है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/2024 दिनांक 06.12.2024 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुर्विनियोजन, रिसन, (leakage) की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता/खाता बही	29 (1 से 3)	7
4.	वर्गीकृत सार रजिस्टर	29 (4)	8
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30

12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
13.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	```
6.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/सुकनाड़ा दिनांक 30.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/07/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर - II	ग्राम सभा (बैठक) प्रस्ताव और कार्यों की प्राथमिकता सूची, विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा (बैठक), प्रस्ताव और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
3.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आबंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
4.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
5.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
7.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/सुकनाड़ा दिनांक 30.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/08/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता एवं गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/सुकनाड़ा दिनांक 06.12.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/SUK/11/2024 दिनांक 06.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

24 FEB 2025

1300–1304

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)175/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP SUKNARA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	492106.12	496884.00	988990.12	521050.00	467940.12
2023-24	467940.12	423711.00	891651.12	381617.00	510034.12

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1517402.00	3492081.10	5009483.10	2889324.10	2120159.00
2023-24	2120159.00	2196726.00	4316885.00	1548460.00	2768425.00

Rakesh Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सुकनाड़ा
विकास खण्ड नगरोटा, सूरियाँ
जिला कांगड़ा हि०प्र०

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SUKNARA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SDRF	2022-23	0.00	553523.00	553523.00	503404.00	50119.00
		2023-24	50119.00	332334.00	382453.00	0.00	382453.00
2	VKVNY	2022-23	6734.00	136077.00	142811.00	124943.00	17868.00
		2023-24	17868.00	80655.00	98523.00	0.00	98523.00
3	MPLAD	2022-23	118146.00	3370.00	121516.00	0.00	121516.00
		2023-24	121516.00	3697.00	125213.00	20100.00	105113.00
4	MMAY	2022-23	13690.00	65507.00	79197.00	65000.00	14197.00
		2023-24	14197.00	432.00	14629.00	0.00	14629.00
5	RAYEAAY	2022-23	48118.00	4537.00	52655.00	0.00	52655.00
		2023-24	52655.00	0.00	52655.00	0.00	52655.00
6	SBM	2022-23	0.00	177107.00	177107.00	172238.00	4869.00
		2023-24	4869.00	148.00	5017.00	0.00	5017.00
7	IWDP	2022-23	36563.00	1043.00	37606.00	0.00	37606.00
		2023-24	37606.00	0.00	37606.00	0.00	37606.00
8	3rd SFC	2022-23	144675.00	111308.00	255983.00	0.00	255983.00
		2023-24	255983.00	0.00	255983.00	0.00	255983.00
9	GRDY	2022-23	72950.00	0.00	72950.00	0.00	72950.00
		2023-24	72950.00	0.00	72950.00	0.00	72950.00
10	14TH FC	2022-23	65842.00	1272.00	67114.00	67114.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	15TH FC	2022-23	1010684.00	844220.00	1854904.00	362508.00	1492396.00
		2023-24	1492396.00	638766.00	2131162.00	387666.00	1743496.00
12	MGNREGA	2022-23	0.00	1559117.10	1559117.10	1559117.10	0.00
		2023-24	0.00	1140694.00	1140694.00	1140694.00	0.00
13	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	35000.00	35000.00	35000.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rakesh Kumar

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सुकनाड़ा
विकास खण्ड नगरोटा सू॰
ज़िला कांगड़ा हि०प्र०

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० - 176027

ग्राम पंचायत सुकनाड़ा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5 वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)/ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	20027080205	₹ 3,81,753.00	₹ 5,26,019.28	₹ 5,10,034.12
			20027080512	₹ 1,44,266.28		
2	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50074374693	₹ 3,82,453.00	₹ 3,82,453.00	₹ 3,82,453.00
3	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055883818	₹ 98,523.00	₹ 98,523.00	₹ 98,523.00
4	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055883829	₹ 1,05,113.00	₹ 1,05,113.00	₹ 1,05,113.00
5	मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50065712375	₹ 14,629.00	₹ 14,629.00	₹ 14,629.00
6	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055883830	₹ 54,257.00	₹ 54,257.00	₹ 52,655.00
7	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50074173486	₹ 5,017.00	₹ 5,017.00	₹ 5,017.00
8	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50060061709	₹ 38,751.00	₹ 38,751.00	₹ 37,606.00
9	तीसरा राज्य वित्त आयोग (3rd SFC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055883807	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 2,55,983.00
10	गुरु रविदास योजना (GRDY)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50061767124	₹ 77,314.00	₹ 77,314.00	₹ 72,950.00
11	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50064667717	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
12	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100369116057	₹ 17,43,496.00	₹ 17,43,496.00	₹ 17,43,496.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 4,614.85	₹ 4,614.85	₹ 0.00
		कुल योग		₹ 30,50,187.13	₹ 30,50,187.13	₹ 32,78,459.12

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	₹ 32,78,459.12
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	₹ 30,50,187.13
अंतर :-	₹ 2,28,271.99

Received
Rajesh Kumar

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सुकनाड़ा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
जि० कांगड़ा हि०प्र०

(परिशिष्ट " घ " पैरा संख्या " 7.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176027

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 445 परिवारों का ₹50/- तथा 2023-24 में 450 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अग्रशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 55,350.00	445	₹ 50.00	₹ 22,250.00	₹ 77,600.00	₹ 53,550.00	₹ 24,050.00
2023-24	₹ 24,050.00	450	₹ 50.00	₹ 22,500.00	₹ 46,550.00	₹ 0.00	₹ 46,550.00
	नोटः- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 46550/-** है।						

Rakesh Kumar

सुकनाड़ा

ज्वाली

ग्राम पंचायत सुकनाड़ा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 0.39 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	अनुदान शीर्ष : 15 वां वित्त आयोग (15th FC)									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X / फार्म Y
1	M/S Amit Guleria Cont.	XVFC/2023-24/P/24 Dt 16.03.2024	369/ 07.03.2024	Crusher Sand	₹ 55.00	159.50	Cft	₹ 8,772.50	12	उपलब्ध नहीं है
2				Crusher Agg 20mm	₹ 40.00	100.00	Cft	₹ 4,000.00		
				GST @ 5%				₹ 638.63		
3	M/S Amit Guleria Cont.	XVFC/2023-24/P/24 Dt 16.03.2024	370/ 07.03.2024	Crusher Sand	₹ 55.00	165.00	Cft	₹ 9,075.00	12	उपलब्ध नहीं है
4				Crusher Agg 20mm	₹ 40.00	42.90	Cft	₹ 1,716.00		
				GST @ 5%				₹ 539.55		
	अनुदान शीर्ष : 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)									
5	Achhar Singh	5THSFC/2022-23/P/10 Dt 02.08.2022	168/ 15.01.2022	Crusher Sand	₹ 34.00	200.00	Cft	₹ 6,800.00	6	उपलब्ध नहीं है
6				Crusher Agg 20mm	₹ 21.85	350.00	Cft	₹ 7,647.50	13	
							कुल योग	₹ 39,189.18		

Rakesh Kumar

Sonia Choudhary
Dr. R.S Sukhnera

Ranjit Singh
T/A.

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत सुकनाड़ा द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 08/2022 व 03/2023 में राशि ₹0.39 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	टिप्पणी
1	M/S Amit Guleria Cont.	XVFC/2023-24/P/24 Dt 16.03.2024	369/ 07.03.2024	Crusher Sand	₹ 55.00	159.50	Cft	₹ 8,772.50	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
2				Crusher Agg 20mm	₹ 40.00	100.00	Cft	₹ 4,000.00	
				GST @ 5%				₹ 638.63	
3	M/S Amit Guleria Cont.	XVFC/2023-24/P/24 Dt 16.03.2024	370/ 07.03.2024	Crusher Sand	₹ 55.00	165.00	Cft	₹ 9,075.00	
4				Crusher Agg 20mm	₹ 40.00	42.90	Cft	₹ 1,716.00	
				GST @ 5%				₹ 539.55	
	अनुदान शीर्ष : 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)								
5	Achhar Singh	5THSFC/2022-23/P/10 Dt	168/ 15.01.2022	Crusher Sand	₹ 34.00	200.00	Cft	₹ 6,800.00	
6				Crusher Agg 20mm	₹ 21.85	350.00	Cft	₹ 7,647.50	
							कुल योग	₹ 39,189.18	

Sanjay
Sanjay Chowdhry
G.R.S Sukanara

Ranjit Singh
P/A.

Rakesh Kumar
सुकनाड़ा
ज्वाली

ग्राम पंचायत सुकनाड़ा द्वारा सीमेंट क्रय से संबंधित प्रोफॉर्मा बिल एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना तथा भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹4.04 लाख समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Delivery Challan No./ Date	मद का नाम	दर	मात्रा (Bags)	भुगतान की गई राशि
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)						
1	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207280/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	250.00	₹ 99,250.00
2	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207284/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	250.00	₹ 99,250.00
3	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207285/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	42.00	₹ 16,674.00
4	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207292/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	42.00	₹ 16,674.00
5	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207290/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	44.00	₹ 17,468.00
6	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207288/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	50.00	₹ 19,850.00
7	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207291/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	80.00	₹ 31,760.00
8	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207282/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	30.00	₹ 11,910.00
9	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207287/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	30.00	₹ 11,910.00
10	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207279/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	40.00	₹ 15,880.00
11	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	207283/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	30.00	₹ 11,910.00
12	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	358438/ 06.04.2023	Cement	₹ 397.00	40.00	₹ 15,880.00
13	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	Nil/ 03.01.2024	299039/ 09/06/2023	Cement	₹ 397.00	40.00	₹ 15,880.00
	अनुदान शीर्ष : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)						
14	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नगरोटा सूरियाँ	MPLADS/2023-24/P/1 Dt 11.03.2024	207381/ 20.03.2024	Cement	₹ 402.00	50	₹ 20,100.00
						कुल योग	**₹ 4,04,396.00**

Sonia Choudhry
G.R.S Sukanara

Ranjit Singh
T/A

Rakesh Kumar
प्रधान

(परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " ९.१ " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत सुकनाड़ा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्टर रोलों के भुगतान हेतु व्यय राशि ₹3.27 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी/संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं०/ दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	नि० भूमी समतलीकरण व् पौधारोपण राकेश कुमार ,आशा देवी,अमन चौधरी इत्यादि की जमीन में वार्ड न. 01(1304010494/DP/8000043155)	1756	Nil/ 06.08.2022	₹ 22,048.00
2		1756	Nil/ 07.08.2022	₹ 6,360.00
3		1779	Nil/ 07.08.2022	₹ 3,180.00
4		2240	Nil/ 22.08.2022	₹ 31,164.00
5	नि० भूमी समतलीकरण व् पौधारोपण बलराज, यशपाल सिंह इत्यादि की जमीन में वार्ड न. 05(1304010494/DP/8000043158)	1757	Nil/ 06.08.2022	₹ 20,776.00
6		2013	Nil/ 07.08.2022	₹ 2,968.00
7		2085	Nil/ 06.08.2022	₹ 2,968.00
8		2244	Nil/ 19.08.2022	₹ 25,228.00
9		2258	Nil/ 19.08.2022	₹ 3,180.00
10	नि० पौधारोपण प्यार देई, नरेन्द्र कुमार इत्यादि की जमीन में वार्ड न. 03 (1304010494/DP/8000043159)	1758	Nil/06.08.2022	₹ 18,444.00
11		1758	Nil/07.08.2022	₹ 9,328.00
12		2245	Nil/ 19.08.2022	₹ 25,228.00
13		2381	Nil/ 19.08.2022	₹ 3,180.00
14	निर्माण सिंचाई नहर विक्रम , जवाला ,सुरजीत की जमींन में (1304010494/IC/8000041607)	1759	Nil/ 06.08.2022	₹ 3,392.00
15		1759	Nil/ 07.08.2022	₹ 1,696.00
16	निर्माण सिंचाई नहर प्रवीण सिंह सुदर्शन की जमींन में(1304010494/IC/8000041608)	1760	Nil/ 06.08.2022	₹ 5,088.00
17		1760	Nil/ 07.08.2022	₹ 1,696.00
18	Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. HP130445436(1304010494/IF/IAY/22662)	1761	Nil/06.08.2022	₹ 4,240.00
19	नि० भूमी समतलीकरण व् पौधारोपण कांता देवी, गोल्डी व् संगम चौधरी इत्यादि की जमीन में वार्ड न. 01(1304010494/DP/8000043156)	1780	Nil/ 06.08.2022	₹ 19,080.00
20		1780	Nil/ 07.08.2022	₹ 6,148.00
21		2242	Nil/ 19.08.2022	₹ 28,620.00
22	नि० भूमी समतलीकरण व् पौधारोपण केहर सिंह, दीप कुमार इत्यादि की जमीन में वार्ड न. 01(1304010494/DP/8000043157)	1781	Nil/ 06.08.2022	₹ 19,080.00
23		1781	Nil/ 07.08.2022	₹ 9,540.00
24		2243	Nil/22.08.2022	₹ 31,800.00
25	Completion of Gram Panchayat Bhawan Gp Suknara (Cong.VKVNY) (1304010494/AV/8000048680)	1955	Nil/06.08.2022	₹ 12,720.00
26		1955	Nil/07.08.2022	₹ 9,540.00
			कुल योग	**₹ 3,26,692.00**

Sania
Sania Choudhary
G.R.S Suknara

Ranjit Singh
T/A

Rakesh Kumar
सुकनाड़ा

36